# न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

**राजस्व प्रकरण संख्या 03/2022**

समस्त ग्रामवासी, मावशिया जरिये प्रतिनिधिगण :–

1. श्री रामस्वरूप पुत्र श्री नीर
2. श्री शिवराज पुत्र श्री ओमप्रकाश
3. श्री रंगलाल पुत्र श्री जगन्नाथ
4. श्री रंगलाल पुत्र श्री पोलू
5. श्री सिद्धार्थ पुत्र श्री रामनाथ

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम मावशिया तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

*.....प्रार्थी*

**बनाम**

1. श्री मूलचन्द पुत्र श्री स्वरूप, मृतक जरिये वारिसान –
   - 1/1 श्री किशोर कुमार पुत्र श्री मूलचन्द
   - 1/2 श्रीमती पुष्पा पत्नी श्री मूलचन्द
   - 1/3 सुश्री बीना पुत्री श्री मूलचन्द
   - 1/4 श्री रवि कुमार पुत्र श्री मूलचन्द

   समस्त जाति सैन, हाल निवासी अजय हाउसिंग सोसायटी, मकान नम्बर 25–अ, सियाराम नगर, चन्द्रवरदाई नगर, अजमेर जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद जिला अजमेर।
3. श्री विकास शर्मा पुत्र श्री द्वारका प्रसाद शर्मा, जाति ब्राह्मण, होटल मानसिंह के पीछे, राजीव कॉलोनी, अजमेर।
4. श्री विवेक शर्मा पुत्र श्री द्वारका प्रसाद शर्मा, जाति ब्राह्मण, होटल मानसिंह के पीछे, राजीव कॉलोनी, अजमेर।

**.....रेस्पोन्डेन्टस**

**प्रार्थनापत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 विरूद्ध आवंटन आदेश दिनांक 30.12.1975 द्वारा उप जिलाधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) महोदय, अजमेर**

———

**उपस्थित :–**
1. श्री शिवप्रकाश चौधरी, वकील प्रार्थी की ओर से।
2. श्री शशिकान्त जोशी वकील
   अप्रार्थी संख्या 1, 3 व 4 की ओर से।
3. श्री ओमप्रकाश गुर्जर, राजकीय अभिभाषक

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर,
अजमेर

## –: आदेश :–

दिनांक – 15-12-2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि यह प्रार्थनापत्र, उप जिलाधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) अजमेर द्वारा पारित आवंटन आदेश 30.12.1975 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्राप्त हुआ है।

दिनांक 30.12.1975 को उप जिलाधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) अजमेर ने ग्राम मावशिया तहसील अजमेर (वर्तमान में तहसील नसीराबाद) के खसरा नम्बर पुराना 1537, 1538 नया खसरा नम्बर 1629मि. किस्म बा–3 में से 05–00–00 बीघा तथा खसरा नम्बर 1479, 1584, 1445, 1545 के नये खसरा नम्बर 1632मि. किस्म बा–3 में से 07–00–00 बीघा कुल 12 बीघा भूमि, सेवानिवृत्त नौसैनिक श्री मूलचन्द पुत्र श्री स्वरूप को राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के अन्तर्गत आवंटन किया गया था, जिसका कब्जा हलका पटवारी द्वारा दिनांक 13.02.1976 को आवंटी श्री मूलचन्द को संभलवाया गया था। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किये गये विवादित भूमि के आवंटन को विभिन्न कारणों से विधि विरूद्ध बताते हुए उक्त आवंटन को निरस्त करने हेतु यह प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है। प्रार्थनापत्र पेश होने पर अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1, 3 व 4 जरिये अभिभाषक पेश हुए। वकील अप्रार्थी संख्या 1, 3 व 4 ने जवाब नोटिस पेश किया। तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गयीं। वकील अप्रार्थी ने लिखित बहस प्रस्तुत की।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्वान वकील प्रार्थी ने लिखित बहस प्रस्तुत कर प्रार्थनापत्र में उठाये गये बिन्दुओं की की पुष्टि करते हुए व्यक्त किया कि आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन गैर कानूनी, आवंटन की शर्तों की पालना नहीं होने, फ्रॉड व मिस रिप्रेजेन्टेशन से आवंटन प्राप्त करने के कारण निरस्त योग्य है। उन्होने कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 को जो भूमि आवंटित की गयी थी, वो अनऑक्यपाईड लैण्ड नहीं है, जबकि आवंटन नियमों के अनुसार केवल अनऑक्यूपाईड भूमि का ही आवंटन/नियमन किया जा सकता है। आवंटन के समय तहसीलदार नसीराबाद ने नियम 1970 के नियम 5 के द्वारा अनऑक्यूपाईड राजकीय भूमि की सूची, उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं की। इसी प्रकार नियम 1970 के नियम 7 के आवंटन किये जाने की उद्घोषणा किया जाना आवश्यक है, परन्तु तत्समय उपखण्ड अधिकारी द्वारा ऐसी कोई उद्घोषणा नहीं की गयी। उन्होने यह भी कथन किया किया कि आवंटित भूमि पर आवंटी का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा, न ही आवंटी के पश्चात उसके वारिसान का रहा है। इस प्रकार आवंटन आदेश की शर्तों की पालना नहीं की गयी है। उन्होने यह भी कथन किया कि उक्त आक्षेपित भूमि पर नरेगा योजना के तहत सार्वजनिक छोटा तालाब बनाया गया है, जिस पर ग्राम के जानवर पानी पीते है तथा ग्राम मावशिया से सूरजपुरा जाने का रोड भी इसी आक्षेपित भूमि पर बना हुआ है। इस प्रकार आक्षेपित भूमि, धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से प्रभावित होने के कारण उक्त आक्षेपित आवंटन निरस्त योग्य है। उन्होने यह भी कथन किया कि ग्राम मावशिया की खसरा गिरदावरी संवत 2037 से 2040 के क्रम संख्या 8270 दिनांक 26.09.1979 पर तत्कालीन उप जिलाधिकारी ने अलॉट खारिज का नोट अंकित किया है इसके बावजूद भी तहसीलदार नसीराबाद द्वारा अप्रार्थी सं 1 के वारिसान के पक्ष में दिनांक 30.10.

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर,
अजमेर

2021 को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार दिये गये। आवंटी न तो ग्राम मावशिया का निवासी है न ही उसने ग्राम मावशिया में भूमि आवंटन के लिए आवंटन किया था। उन्होने यह भी कथन किया कि आवंटी के वारिसान ने दिनांक 16.12.2021 को थानाधिकारी पुलिस थाना नसीराबाद सदर के समक्ष आक्षेपित भूमि का कब्जा दिलवाये जाने बाबत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था। इससे भी स्पष्ट है कि उक्त आक्षेपित भूमियों पर कभी भी आवंटी या उसके वारिसान का कब्जा नही रहा है। उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर वकील प्रार्थी ने आक्षेपित बिन्दुओं का आवंटन निरस्त करने का निवेदन किया।

वकील अप्रार्थी सं 1, 3 व 4 ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थनापत्र का लिखित प्रत्युत्तर एवं लिखित बहस प्रस्तुत की। उन्होने कथन किया कि अप्रार्थी सं 1 श्री मूलचन्द, दिनांक 30.06.1954 से दिनांक 29.06.1961 तक भारतीय नौसेना में कार्यरत थे। भूतपूर्व सैनिक तथा भूमिहीन कृषक होने के आधार पर उन्होने राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत भूमि आवंटन हेतु नियमानुसार प्रार्थनापत्र तत्कालीन उप जिलाधिकारी अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया था। उप जिलाधिकारी अजमेर ने नियम 1970 में वर्णित प्रक्रिया एवं प्रावधानों की पालना करते हुए पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 20.12.1975 के आधार पर आवंटन आदेश दिनांक 30.12.1975 के द्वारा ग्राम मावशिया तहसील नसीराबाद के खसरा नम्बर 1629 मिन रकबा 05 बीघा तथा 1632मिन रकबा 07 बीघा कुल 12 बीघा कृषि भूमि किस्म बारानी तृतीय आवेदक श्री मूलचन्द वर्मा को आवंटित कर दी। उक्त आवंटित की गयी भूमि पर स्थित 11 पेड़ों की कीमत वसूल करने के आदेश की पालना में पटवारी हल्का ने रिपोर्ट प्रस्तुत की कि वार्षिक लगान 4.50रू., पेड़ों की कीमत 55 रू. तथा पट्टा फीस रू. 5 राजकोष में जमा हो चुके है। तत्कालीन उप जिलाधिकारी अजमेर ने आदेश क्रमांक 488 दिनांक 20.01.1976 के द्वारा आवंटी को तहसीलदार अजमेर व पटवारी हल्का के माध्यम से आवंटित भूमि का कब्जा प्राप्त करने के निर्देश दिये। दिनांक 13.02.1976 को गवाह तत्कालीन सरपंच श्री गोपीदास एवं एक अन्य स्वतत्र व्यक्ति श्री किशोर कुमार की उपस्थिति में पटवारी हल्का ने मौके पर आवंटित भूमि की सीमाएँ चिन्हित कर एवं हल चलाकर आवंटित की गयी भूमि का भौतिक कब्जा श्री मूलचन्द वर्मा को संभलवा दिया। नामा. सं 157 दिनांक 15.02.1996 से उक्त आवंटित भूमि श्री मूलचन्द वर्मा के पक्ष में राजस्व रिकॉर्ड में गैर खातेदारी अंकित की गयी। वकील अप्रार्थी ने यह भी कथन किया कि खसरा गिरदावरी से यह प्रमाणित हो रहा है कि आवंटित की गयी भूमि पर मूंग, चना, राई व सरसों आदि की फसल काश्त की जाती रही है। आवंटित की गयी आराजी की किस्म बारानी तृतीय है अर्थात उक्त भूमि पर वर्षा होने पर ही फसल काश्त की जाती है। उन्होने यह भी कथन किया कि नियम 1970 के नियम 14(3) में दिनांक 23.09.1999 को संशोधन किया जा चुका है तथा काश्त नहीं करने के आधार पर आवंटन निरस्त करने की शर्त को पूर्णतया विलोपित किया जा चुका है। उन्होने यह भी कथन किया कि वर्ष 1975 की जमाबन्दी भू संशोधन की जमाबन्दी थी जो कि वर्ष 1984 तक प्रभावी रही तथा वर्ष 1984 में इसे सीज कर दिया गया। नसीराबाद, अजमेर, पुष्कर व पीसांगन का वर्ष 1971 से 1984 तक का भू संशोधन का समस्त रिकॉर्ड सीज है एवं 1984 की जमाबन्दी को आधार मानकर ही राजस्व विभाग द्वारा कार्य किया जा रहा है। काश्तकारों एवं आवंटियों की समस्या के निराकरण हेतु वर्ष 2001 में आयोजित राजस्व कैम्पों में समस्त आवंटियों को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये एवं

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर
सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर,
अजमेर

इसी क्रम में नामा. सं 218 दिनांक 11.12.2001 को आवंटी श्री मूलचन्द वर्मा को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। श्री मूलचन्द की मृत्यु दिनांक 08.04.2008 को हो जाने के उपरान्त उनके वारिसान अप्रार्थी सं 1/1 से 1/4 के पक्ष में उक्त आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार बदस्तूर चले आ रहे है। उन्होने यह भी कथन किया कि विधि का यह सुस्थापित प्रावधान है कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज राजकीय भूमि पर राज्य सरकार का कब्जा की अवधारणा है अतः आवंटन के समय आवंटित भूमि राज्य सरकार के कब्जे में होने से यह भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि मानी जायेगी। उन्होने यह भी कथन किया कि आवंटित भूमि पर किसी प्रकार का तालाब या सड़क इत्यादि निर्मित नहीं है, जो कि दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में एक निरर्थक तथ्य है। उन्होने यह भी कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा अपना प्रार्थनापत्र नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किया है, आवंटन हेतु प्रार्थी की योग्यता या पात्रता पर किसी प्रकार का प्रश्नचिन्ह नहीं लगाया गया है। नियम 14(4) के तहत आवंटन तभी निरस्त किया जा सकता है जब आवंटन कपटपूर्वक अथवा मिथ्या व्यपदेशन से किया गया हो परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में इस तरह का कोई आक्षेप या आपत्ति दर्ज नहीं की है। उन्होने यह भी कथन किया कि आवंटी श्री मूलचन्द वर्मा को किया गया आवंटन आदिनांक तक निरस्त नहीं हुआ है तथा खसरा गिरदावरी में किसी नोट से विधिवत आवंटन को खारिज भी नहीं किया जा सकता है। तथाकथित नोट खसरा गिरदावरी पर संदिग्ध तरीके से अंकित है जिसक नीचे नोट दर्ज करने वाले कार्मिक का नाम, पदनाम, मोहर, तारीख या न्यायिक आदेश का विवरण अंकित नहीं है न ही इस तरह का कोई न्यायिक आदेश कार्यालय में उपलब्ध है जिसके द्वारा श्री मूलचन्द के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त किया गया हों। उन्होने यह भी कथन किया कि प्रकरण में प्रार्थीगण ने लगभग 05 दशक के पश्चात आवंटन निरस्त करने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय तथा राजस्व मण्डल ने विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि एक लग्बी अवधि के उपरान्त न तो आवंटन निरस्त किया जा सकता है, न ही आवंटी या उसके वारिसान को आवंटित की गयी आराजी से बेदखल किया जा सकता है। यदि आवंटन आदेश में किसी प्रकार की प्रक्रियात्मक त्रुटि रही भी है तब भी इतनी दीर्घ अवधि उपरान्त आवंटन आदेश को निरस्त किया जाना विधिक दृष्टि से उचित नहीं है। उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर वकील अप्रार्थी ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत नियम 1970 के उप नियम 14(4) को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आक्षेपित आवंटन आदेश दिनांक 30.12.1975 के द्वारा तत्कालीन उप जिलाधिकारी अजमेर ने ग्राम मावशिया के खसरा नम्बर 1629मिन में से 05 बीघा तथा 1632मिन में से 07 बीघा भूमि का आवंटन नियम 1970 के प्रावधानों के तहत एव नियमानुसार प्रक्रिया के द्वारा आवंटी श्री मूलचन्द वर्मा के पक्ष में किया था। आवंटन के समय विवादित आराजी किसी प्रकार की प्रतिबन्धित भूमि नहीं थी तथा आवटित की गयी भूमि का कब्जा भी सार्वजनिक रूप से गवाहो के समक्ष ही आवंटी को संभलवाया गया था। आवंटित भूमि की किस्म बारानी–3 तथा सिंचाई हेतु पूर्णतया वर्षा पर निर्भर होने के कारण आवंटित की गयी भूमि पर वर्षा होने पर फसल काश्त किया जाना भी खसरा गिरदावरी से प्रमाणित हो रहा है। आवंटी श्री

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर,
अजमेर

मूलचन्द वर्मा को आवंटित की गयी आराजी का वर्ष 1996 में गैर खातेदार तथा वर्ष 2001 मे खातेदार घोषित किये जाने के सम्बन्ध में तत्समय किसी भी प्रकार की आपत्ति भी प्राप्त नहीं हुई। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थनापत्र में खसरा गिरदावरी में आवंटन आदेश को खारिज किये जाने बाबत नोट का उल्लेख किया है परन्तु उनके द्वारा इस नोट की प्रमाणिकता को सिद्ध करने बाबत किसी प्रकार का साक्ष्य या अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थीगण ने यह भी कथन किया कि उक्त विवादित भूमि पर मनरेगा योजना के तहत छोटा तालाब निर्मित किया गया है एवं सड़क भी निर्मित है, परन्तु इस आशय का दस्तावेजी साक्ष्य भी उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि आवंटी श्री मूलचन्द को दिनांक 11.12.2001 को आक्षेपित आदेश दिनांक 30.12.1975 के अनुसरण में विवादित भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदान किये थे जबकि मनरेगा योजना (पूर्व में नरेगा योजना) दिनांक 02.02.2006 से प्रारम्भ हुई है। खातेदारी भूमि पर मनरेगा योजना के अन्तर्गत छोटा तालाब व सड़क किस आधार पर निर्मित किये गये है, इसे प्रार्थीगण द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है, न ही प्रार्थीगण द्वारा आक्षेपित आवंटन आदेश को कपटपूर्ण या मिथ्या व्यपदेशन से किया जाना माना है।

अतः तत्कालीन उप जिलाधिकारी अजमेर द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 30.12.1975 से ग्राम मावशिया तहसील नसीराबाद के साबिक खसरा नम्बर 1629मिन में से 05 बीघा तथा 1632मिन में से 07 बीघा कुल किता 02 कुल रकबा 12 बीघा किस्म बा–3 का आवंटी श्री मूलचन्द वर्मा के पक्ष में किया गया आवंटन आवंटन, राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के प्रावधानों के तहत उचित पाये जाने के कारण **प्रार्थीगण समस्त ग्रामवासी ग्राम मावशिया जरिये प्रतिनिधि श्री रामस्वरूप पुत्र श्री नीर व अन्य द्वारा प्रस्तुत विचाराधीन प्रार्थनापत्र (अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970) को निरस्त किया जाता है।**

आदेश आज दिनांक **15-12-2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ज्योति [illegible])
अपर कलक्टर [illegible]
अजमेर

न्यायालय अपर जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
अजमेर